

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 63/2022

1. सुरेश कुमार पुत्र स्व० जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. इमानती देवी पुत्र पत्नि स्व० जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. सुमित्रा पुत्री स्व० जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. शकिला पुत्री स्व० जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. प्रियंका पुत्री स्व० जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पुत्र श्री सहीराम जाति बिश्नोई निवासी हाउस नं. 4746, सितोगुन्नो ब्लॉक व तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब-152116 (आधार नं. 4561 2066 1058)
2. प्रमिला देवी पत्नि श्री महेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 29 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
3. उप-पंजीयक, खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :-

1. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री हंसराज देहडू वगैरह अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से

—: आदेश :-

दिनांक 11.07.2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश पुत्र सहीराम बिश्नोई निवासी चक 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ने तहसील खाजूवाला के चक 20 बी.डी. का मुरब्बा नं. 95/24 व 96/33 की कुल 15.10 बीघा कृषि भूमि जरिये बैयनामा खरीद की हुई है तथा उक्त भूमि खरीद के बाद प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश पुत्र सहीराम निवासी 54 एल.एन.पी. का ही कब्जा काश्त अनवरत चला आ रहा है। उक्त भूमि खरीद सन् 1992 के बाद जगदीश पुत्र सहीराम निवासी 54 एल.एन.पी. कभी कभार आते व सार संभाल कर वापिस गांव चले जाते तथा जब भी आते तो एक मकान बनाया हुआ था। जिसमें भूमि से संबंधित कागजात रखे हुए थे। प्रार्थीगण के पति/पिता जगदीश का स्वर्गवास दिनांक 02.11.2020 को हो गया तो प्रार्थी सं० 1 ने मुताबिक वैधानिक प्रक्रिया तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष उपस्थित होकर विरासतन इंतकाल दर्ज कराया व आवेदन पेश किया तो उक्त आवेदन जाँच हेतु पत्र क्रमांक त.खा./भू.अ./21/10714 दिनांक 01.10.2021 को तहसीलदार पदमपुर को भेजा गया जिन्होंने 54 एल.एन.पी. पटवार हल्का पटवारी से वारिसान की जाँच पुष्टि करवाई व वापिस तहसीलदार खाजूवाला को आवेदन दिये थे। जो कि पटवारी हल्का के पास जैरकार है। प्रार्थना पत्र मय पुष्टि मय आदेश संलग्न वाद पत्र है।

प्रार्थीगण के नाम से विरासतन नामान्तरणकरण जैरकार रहते हुए अप्रार्थी संख्या 1 जो बहुत शातिर व्यक्ति है तथा वह पंजाब आंतकवाद के समय फरारी काटने हेतु चक 20 बी. डी. में अस्थाई निवास करने आया हुआ था। जिसने प्रार्थीगण की उक्त वादगत भूमि कुछ समय हिस्सा पांति पर काश्त करने हेतु ले रखी थी व प्रार्थीगण के पति/पिता के यहां नहीं रहने के कारण पिछे से मिलते जुलते नाम होने के कारण भूमि अपनी बताने लगा तो प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश ने अप्रार्थी सं० 1 से अपनी भूमि काश्त करने से छुड़ा ली तथा फिर अप्रार्थी सं० 1 वापिस अपने मूल गांव पंजाब चला गया परन्तु कुछ समय बाद वापिस आया तथा यहां भूमि खरीद करने का प्रयास करने लगा परन्तु उक्त क्षेत्र आई.जी. एन.पी. का है तथा उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत बनाए नियमों के तहत राजस्थान राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य का मूल निवासी यहां इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कृषि भूमि खरीद नहीं कर सकता है तथा उक्त नियमों के तहत इस क्षेत्र में भूमि खरीद के समय 20 वर्ष पूर्व से ही राजस्थान में रहने का प्रमाण पत्र देना होता है तथा राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र भी देना होता है इसलिए अप्रार्थी सं० 1 कानूनन कृषि भूमि खरीद के अयोग्य है। प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश ने सन् 2000 से ही अस्वस्थ होने व प्रार्थीगण नाबालिग व औरत जात होने के कारण अपनी उक्त वादगत भूमि पर सार संभाल करने में मजबूरी आने लगी तो प्रार्थीगण चक में ही अन्य काश्तकारों को अपनी उक्त भूमि हिस्सा पांती ठेका पर काश्त करवाने दे जाते तो पिछे अप्रार्थी सं० 1 भी कभी कभार आता व उसने मौका पाकर खेत वादगत में बने मकानों के रखे असल दस्तावेज यथा बैयनामा मूल किसी समय धोखे से अपने साथ ले गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं हुई है। अब प्रार्थीगण के पति/पिता का स्वर्गवास होने पर किसी जानकार द्वारा बताने पर प्रार्थीगण को मालूम हुआ है। जिसकी कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अप्रार्थी सं० 1 ने अप्रार्थी सं० 2 को उक्त वादगत भूमि दिनांक 07.04.2022 को जरिये बैयनामा विक्रय कर दी है जबकि वह वादगत भूमि का मालिक नहीं है तथा उसने प्रार्थीगण के अग्रज जगदीश पुत्र सहीराम बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का प्रतिरूपण कर कूटरचित बैयनामा निष्पादित करवाया है अप्रार्थी सं० 2 को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते हैं। प्रार्थीगण के हको के मुकाबले बातिल, बेअसर व शून्य दस्तावेज है। जिसे प्रार्थीगण अपने हको के मुकाबले शून्य, अकृत, बातिल, बेअसर घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। इस प्रकार मामला प्रथमदृष्ट्या बनता है। अप्रार्थीगण चुनौतीधीन बैयनामा के आधार पर बैयनामा में वर्णित भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने हेतु कटिबद्ध है। प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का शाश्वत व्यादेश पाने के अधिकारी व दावेदार है कि चुनौतीधीन बैयनामा में वर्णित कृषि भूमि को किसी भी कदर रहन, बैय या मुन्तकिल नहीं करें, ना ही प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करें, ना ही प्रार्थीगण को अन्य दिगर तरीके से बेदखल करे या करावे। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी जावे कि अप्रार्थीगण चुनौतीधीन बैयनामा में वर्णित कृषि भूमि चक 20 बी.डी. का मुरब्बा नं० 95/24, 96/33 की कुल 15.00 बीघा कृषि भूमि का 4/5 हिस्सा से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण बेदखल नहीं करें, ना ही कोई ऐसा कृत्य करे या करावे जिससे प्रार्थीगण के हक, हकूको व फसली लाभो पर विपरीत असर पड़े तथा दौराने वाद भूमि रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें या करावे तथा दौराने वाद यथास्थिति कायम रखे।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने जबाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त दावा में जो अनुतोष चाहा है उसका दावा पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश खाजूवाला में जैरकार है जिसकी आगामी दिनांक 16.07.2022 है। उक्त वादगत भूमि अप्रार्थी सं. 1 की जरिये बैयनामा खरीद की हुई है तथा अप्रार्थी सं.1 खरीद दिनांक से लगातार कब्जा काश्त करता आ रहा है तथा अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा उक्त कृषि भूमि खरीद करने के बाद आज दिनांक तक अप्रार्थी सं. 2 का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी सं. 2 सदभावी क्रेता है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम व पता प्रार्थीगण के पिता/पति से मिलते-जुलते होने के कारण प्रार्थीगण के मन में लालच आ जाने की गरज से झुठे तथ्यों से दावा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध झुठा व बेबुनियाद लाछन लगाया है जिसके लिए अप्रार्थी सं. 1 अलग से प्रार्थीगण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायेगा। प्रार्थीगण द्वारा चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई ना ही कागजात की गुमशुदगी रपट दर्ज हुई है। अप्रार्थी सं. 1 की उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीद की हुई है तथ प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2019 में अप्रार्थी सं. 1 व अन्य के विरुद्ध पुलिस थाना खाजूवाला में एक एफ. आई. आर. नं. 142/2019 दर्ज करवाई गई थी उक्त मुकदमा दर्ज के समय प्रार्थीगण के पिता/ पति जीवित था तथा जिसके ब्यान उक्त मुकदमा में लिये गये थे अपने बयानों में प्रार्थीगण के पिता/ पति ने जमीन खरीदने से इन्कार किया है तथा जमीन उसकी होने से भी मना किया है। तथा प्रार्थी सुरेश द्वारा लालच वश उक्त कार्यवाही करने की बात बयानों में अंकित है। अप्रार्थी सं. 1 ने सन् 1992/1999 में उक्त भूमि कृषि चक 20 बी.डी. का मु0नं0 95/24, 96/33 के कुल 15.10 बीघा खरीद की थी उस समय आधार कार्ड का कोई असतित्व ही नहीं था। तथा अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त भूमि का कब्जा भी अप्रार्थी सं. 1 से प्राप्त किया है व आज दिनांक तक कब्जा काश्त अप्रार्थी सं. 2 के पास है। अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से अंकन दर्ज करवाने पर प्रार्थीगण को रोकने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है तथा झुठे व बेबुनियादी तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया होने के कारण प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं है तथा कब्जा काश्त अप्रार्थी सं. 2 का होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है व प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति भी नहीं हो रही है। वादगत कृषि भूमि का दावा पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश खाजूवाला में जैरकार है इसलिए प्रार्थना पत्र रेस ज्युडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर खारिज योग्य हैं। प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं.1 के द्वारा चक 20 बीडी तह. खाजूवाला के मु0 न0 96/33 के किला नं0 17 ता 25 में 9.00 बीघा रामूदान पुत्र श्री करणीदान चारण से सन् 1992 में जरिये बैयनामा व मु0नं0 95/24 के किला नं0 6 ता9, 11 ता 13 में कुल 6.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अपने सगे भाई शंकरलाल पुत्र श्री सहीराम जाति बिश्नोई नि. रिडमलसर से सन् 1999 में जरिये बैयनामा खरीद की थी। खरीद के दिन से लगातार अप्रार्थी सं. 1 की उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रही तथा अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के नाम बैयनामा करवाने की दिनांक से आज तक उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 2 का कब्जा काश्त है प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है केवल अप्रार्थी की भूमि को हड़पने की नियत से ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

जिसकी सच्चाई प्रार्थीगण द्वारा करवाई गई एफ.आई.आर नं0 142/2019 पुलिस थाना खाजूवाला की जांच से चल रही है जिसमें प्रार्थीगण के पिता/पति ने स्वयं अपने ब्यान लेखबद्ध करवाये है तथा उक्त वादगत भूमि अपनी होने से इन्कार किया है। अप्रार्थी सं. 1

की पोती खुशी द्वारा खुशी बनाम जगदीश वगै० सन् 2016 में श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष पेश किया गया था जिसमें दिनांक 09.04.2021 को प्रार्थी सं० 1 सुरेश के द्वारा अधिवक्ता सुभाष धारणिया के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत् वारिसो को पक्षकार बनाये जाने का पेश किया तथा श्रीमान जी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के द्वारा दिनांक 14.09.2021 को सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुवे प्रार्थी सं. 1 सुरेश के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया तथा प्रार्थी के पिता/पति को उक्त वादगत भूमि का वास्तविक मालिक नहीं मानते हुए अप्रार्थी सं०1 के पक्ष में आदेश पारित किया। चूंकि यदि प्रार्थीगण उक्त वादगत भूमि के हकदार/ वारिस होते तो इनके द्वारा उक्त फैसला दिनांक 14.09.2021 के विरुद्ध अपील रिविजन की जाती जबकि प्रार्थीगण के द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थीगण ने दिनांक 10.05.2022 को न्यायालय सिविल न्यायालय खाजूवाला में उक्त वादगत भूमि का दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें श्रीमान सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तरिम स्टे को खारिज कर दिया तथा उस दावा में प्रार्थीगण ने पूर्व में प्रार्थना पत्र के खारिज होने की कोई जानकारी अंकित नहीं की तथा सिविल न्यायालय में जब प्रार्थीगण को स्थगन आदेश नहीं मिला तो प्रार्थीगण ने पुनः तथ्य छुपाते हुवे श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश कर अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिया जो कि खारिज योग्य है प्रार्थी गण के द्वारा उक्त दावा व प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थी सं० 1 के भूमि को येन-केन लालचवश हड़प करने की नियत से पेश किया गया है जबकि सिविल न्यायालय खाजूवाला में उक्त वादगत भूमि का दावा व प्रार्थना पत्र जैरकार है जिसमें तारीख पेशी 16.07.2022 है। एक ही विषय वस्तु का दावा भिन्न-भिन्न न्यायालयों में एक ही पक्षकार के द्वारा पेश नहीं किया जा सकता ना ही न्यायालय सुनवाई कर सकता है रेस ज्युडिकेटा के सिद्धांत के अनुसार प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थी सं० 1 के द्वारा अपनी खरीद शुदा भूमि पर के.सी.सी. ऋण एस.बी.आई. बैंक से लिया गया था। बैंक अधिकारी द्वारा समस्त दस्जावेजो व कब्जा-मौका की जांच पड़ताल करने के बाद ही के.सी.सी. ऋण स्वीकृत किया जाता है इससे भी यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काशत नहीं रहा नाही कोई लेना-देना है प्रार्थीगण के द्वारा पेश दावा व प्रार्थना पत्र पर भी सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर व अंगुठे भी नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी सं० 1 के अतिरिक्त अन्य पक्षकारो द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है प्रार्थी सं० 1 सुरेश द्वारा ही लालचवश यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि खारिज योग्य है प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन आदि प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है ना ही प्रार्थीगण को अपूर्णाय क्षति हो रही है जबकि इसके विपरित अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 को अपूर्णाय क्षति है तथा सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 के पक्ष में है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दिनांक 28.6.2022 को लिखित बहस पेश की प्रार्थीगण अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने अभी तक वादपत्र में जवाब प्रस्तुत नहीं किया है ना ही उक्त दावा के क्षेत्राधिकार या श्रवणाधिकार बाबत् कोई एतराज प्रस्तुत किया हुआ है केवल मात्र धारा 212 आरटीएक्ट का जवाब प्रस्तुत कर स्थगन आदेश वेकेन्ट करवाना चाहते है जो कि 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र वादपत्र

का एक अभिन्न भाग है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो वादगत भूमि खुर्द बुर्द, रहन, बैय, हस्तान्तरण का अंदेशा है। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन बिन्दू हैं:— प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा का संतुलन। 1. प्रथमदृष्ट्या:— वादगत भूमि वादी के पिता जगदीश पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी तह: पदमपुर के नाम सन् 1992 में जरिये बैयनामा खरीद होकर दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 जो कि जगदीशचन्द्र पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी सितो गुन्नो तह: अबोहर पंजाब का मूल निवासी है। राज0 काश्तकारी अधिनियम अनुसार राजस्थान के अतिरिक्त किसी राज्य का मूल निवासी आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में कृषि भूमि नहीं खरीद कर सकता है तो विक्रय भी नहीं कर सकता है। वादपत्र दिनांक 07.04.2022 को करवाये बैयनामा को नल एण्ड वॉइड घोषित करवाने का है जमाबंदी में नाम व प्रतिवादी नं0 1 का नाम भिन्न भिन्न है फिर भी बैयनामा करवाया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है प्रतिवादी सं0 1 ने दो आधार कार्ड प्राप्त कर रखे हैं प्रार्थी ने दोनों प्रतियां पेश की है। पंजाब के सितो गुन्नो गांव में प्रतिवादी सं. 1 पत्नी व एक पुत्र सहित निवास करता है पत्नी भगवन्ती व दोनों के पास बुक्स की प्रतियां भी प्रार्थी ने पेश की है साथ ही प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र अरविन्द का मृत्यु प्रमाणपत्र जो सितो गुन्नो पंजाब से बना है, उसकी पत्नी द्वारा वारिस तस्दीक करवाने का प्रार्थनापत्र जो सितो गुन्नो तहसील में पेश कर जारी करवाया कि प्रति भी पेश की है तथा प्रतिवादी सं0 1 ने अपने दूसरे पुत्र को सितोगुन्नो गांव की भूमि हस्तान्तरित की जो 11.05.2015 को की है जिसपर प्रतिवादी सं0 1 के हस्ताक्षर है कि प्रति भी प्रार्थी ने पेश की है उक्त दस्तावेजो से स्पष्ट है कि कि जगदीश चन्द्र की सितो गुन्नो पंजाब में चल अचल सम्पति है व वहां का वह मूल निवासी है तो पंजाब का व्यक्ति राजस्थान के आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में कानूनन भूमि खरीद ही नहीं सकता है तो विक्रय भी कैसे कर सकता है। प्रतिवादी सं0 1 ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत हो की उक्त जगदीशचन्द्र राजस्थान के गांव 54 एल.एन.पी. पदमपुर का निवासी व प्रार्थी के पिता जगदीश के फौत हो जाने पर विरासतन इंतकाल वास्ते वारिसान की पुष्टि रिपोर्ट पेश की है जिससे स्पष्ट है कि जगदीश व जगदीशचन्द्र अलग—अलग व्यक्ति है तथा वादगत भूमि से जगदीश चन्द्र को कोई लेना—देना नहीं है। जगदीशचन्द्र ने प्रतिरूपण कर छल करने के लिए दिनांक 07.04.2022 को अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में औने—पौने प्रतिफल में बैयनामा करवाया है जो प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज है जिसका वाद सुनने का अधिकार श्रीमानजी को है जगदीशचन्द्र के खिलाफ प्रार्थी ने थाना खाजूवाला में एफ.आई.आर. सं0 149 दिनांक 14.06.2022 को जुर्म धारा 417,419, 420, 467, 468, 471, 120 बी आई.पी.सी. के तहत दर्ज करवाई है जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है अर्थात् प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थी का बनता है।

2. अपूर्णनीय क्षति:— प्रार्थी का प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है । यदि न्यायालय द्वारा इस स्तर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो भूमि रहन, बैय, हस्तान्तरित हो जाएगी तथा प्रार्थी अपने पिता की विरासतन भूमि से वंचित हो जाएगा। प्रार्थी की भूमि अप्रार्थी सं0 1 ने प्रतिरूपण कर छलपूर्वक हस्तान्तरित की है जो कि शून्य दस्तावेज है। प्रतिवादीगण आज ही वादी को बेदखल कर देंगे या भूमि वादगत आगे बेचान कर देंगे या गिरवी रख देंगे, वाद बहुलता बढ़ेगी तथा वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका आंकलन

नहीं किया जा सकता है। 3. सुविधा का संतुलन:- वाद श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार का है दौराने वादपत्र वादगत भूमि की सुरक्षा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है यदि भूमि वादगत को आगे रहन बैय हस्तान्तरण होने से रोका नहीं गया तो वादी को सर्वाधिक क्षति व असुविधा होगी। वादपत्र के विचारण का कोई औचित्य नहीं रहेगा। यदि वादगत भूमि हस्तान्तरित होते रहे। लिहाजा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से सुविधा का संतुलन सभी पक्षों का रहेगा। किसी भी पक्ष को असुविधा नहीं होगी। प्रतिवादी सं० 1 का 54 एल.एन.पी. गांव से कोई भी संबंध नहीं रहा है। सन् 1992 में भूमि खरीद के समय प्रतिवादी सं० 1 के पास राजस्थान का मूल निवास नहीं था ना ही यहां प्रस्तुत किया है। सिविल वाद अलग प्रकृति का है। कृषि भूमि होने व विरासतन इंतकाल पेंडिंग होने से अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमानजी के अधिकार क्षेत्र में है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र स्वीकार कर वादगत भूमि की दौराने वाद रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति कायम रखने का आदेश फरमावें। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा की शर्तें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य वादी साबित करने में असफल रहा है इसलिए यह स्थगन आदेश सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

अदालत द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिन्दू अधिवक्ता उभयपक्ष को उक्त बिन्दू अवगत करवाकर पर पुनः बहस उचित प्रतीत होने पर दिनांक 06.07.2022 को पुनः दोनो पक्षों को उक्त बिन्दुओं बहस हेतु आदेशित किया गया। पुनः उभयपक्ष बहस दिनांक 06.07.2022 को सुनी गई।

उपरोक्त बहस उभयपक्ष का अध्ययन मनन किया। इस पत्रावली का निस्तारण करने के लिए यह जानना उचित प्रतीत होता है कि उक्त विवादित रकबे की जमाबंदी में जिस खातेदार का नाम है वह प्रार्थीगण के पिता है अथवा अप्रार्थी सं० 1 है। इस हेतु निम्न बिन्दुओं बहस के बाद जो तथ्य उभर कर आये है उनका विवेचन/निष्कर्ष इसप्रकार से है कि:-

1. इस पत्रावली से संबंधित न्यायालय हाजा में जैरकार पत्रावली सं० 70/16 खुशी बनाम जगदीश वगैरह की आदेशिका 14.9.21 में अदालत ने असल दस्तावेज पेश करने वाले को relevant पक्षकार माना इसप्रकार इस पत्रावली (मु०नं० 63/2022) के अप्रार्थी सं० 1 के जगदीश को पत्रावली सं० 70/16 में relevant पक्षकार माना गया तथा इस पत्रावली के प्रार्थीगण सुरेश वगैरह के पिता जगदीश या वारिसों का उस मामले में locus standi नहीं है आदेशित किया।

2. उक्त पत्रावली (70/16) में अधिवक्ता पुरुषोत्तम सारस्वत् द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में जगदीश(मु०नं० 63/2022 के अप्रार्थी सं० 1) के हस्ताक्षर और मूल रजिस्ट्री सन् 1999 में जगदीश के हस्ताक्षर Same है जबकि प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सुभाष धारिणया में जगदीश (मु०नं० 63/2022 के

प्रार्थीगण के पिता) के हस्ताक्षर और मूल रजिस्ट्री 1999 में जगदीश के हस्ताक्षर Same नहीं है "।

3. सन् 1992 में खरीदी गई भूमि के रजिस्ट्री में खरीददार जगदीश का पता 54 एल.एन.पी पदमपुर लिखा है। प्रार्थीगण के पिता के वहां के निवासी दस्तावेज प्रार्थीगण अधिवक्ता ने पेश किये लेकिन अप्रार्थीगण अधिवक्ता उक्त अप्रार्थी सं0 1 जगदीश का रजिस्ट्री 1992 के पते 54 एल.एन.पी पदमपुर के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए उनके द्वारा कहा गया कि बहुत समय हो गया वह स्थान छोड़े हुवे इसलिए अब कोई दस्तावेज 54 एल.एन.पी पदमपुर का उनके पास उपलब्ध नहीं है ।

4. जगदीश द्वारा सन् 1999 में जो भूमि 20 बी.डी. में खरीद की उसकी रजिस्ट्री में अप्रार्थी सं0 1 ने चक 20 बी.डी. खाजूवाला के परिचय पत्र व मूल निवास यहां के निवासी के लगाए हैं। इसप्रकार अप्रार्थी सं0 1 के दस्तावेज व हस्ताक्षर ही सन् 1999 की खरीद की भूमि की रजिस्ट्री में है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर विवेचन से जो निष्कर्ष निकाला है वह केवल इस पत्रावली निष्कारण के लिए आवश्यक प्रतीत था इसलिए किया गया है, बाकी इस विवेचन से असली जगदीश प्रार्थीगण के पिता है अथवा अप्रार्थी सं0 1 है की पहचान इस न्यायालय द्वारा नहीं की गई है क्योंकि यह इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण के पक्ष में बहस के बिन्दू संख्या 1, 2, 4 है जबकि प्रार्थीगण के पक्ष में सिर्फ बिन्दू सं0 3 आंशिक रूप से है। इसलिए उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णाय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहा है। अतः चक 20 बी.डी. के मु0नं0 95/24 के किला नं0 6 ता 9, 11 ता 13 व 96/33 के किला नं0 17 ता 25 की कुल तादादी 3.92 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि में प्रार्थीगण सुरेशकुमार वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 03.06.2022 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(शयोराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)